

पत्र संख्या-3/सम0-47/2006 1819

बिहार सरकार,  
सामान्य प्रशासन विभाग।

प्रेम,

अजय कुमार चौधरी,  
सरकार के उप सचिव।

जिला पदाधिकारी,  
तारणा, छपरा।

पटना, दिनांक- 12 मई, 10 ई0।

विषय:- अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु उम्र क्षान्त करने के संबंध में।  
महाराज,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-1638/मु0/स्था0-दिनांक-  
26-04-10 के प्रतंग में कहना है कि इस विभाग से निर्गत परिपत्र संख्या-8093  
दिनांक 25-03-98 के अनुसार बिहार सेवा संहिता के नियम-54 के परिशिष्ट-1  
के आधार पर अधिकतम उम्र सीमाक्षान्त करने के लिए विभागाध्यक्ष/विभाग को  
विशेष परिस्थिति में जो प्रावधान है, उसे अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति मामले  
में ही लागू समझे जायेंगे, काल्पित कि आवेदन समय सीमा के अंतर्गत दिया गया है।  
उपर्युक्त आलोक में इस विभाग से उम्र क्षान्ति की स्वीकृति मागे जाने का  
प्रश्न नहीं उठता है। विभागाध्यक्ष/प्रमण्डलीय आयुक्त के स्तर से ऐसी स्वीकृति दी  
जा सकती है।

विश्वासभाजन,

सरकार के उप सचिव।

वर्ग/